रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042020-219033 CG-DL-E-11042020-219033

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1112] No. 1112] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 2020/चैत्र 22, 1942

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 2020/CHAITRA 22, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2020

का.आ. 1253(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए एक विशेष आदेश के रुप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. 1-1/2008- उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2020

S.O. 1253(E).—In exercise of the powers conferred by section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby notifies that the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 made under section 3 of the said Act as special order for the purposes of the said section.

[F. No. 1-1/2008 Fert. Law] NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

1703 GI/2020